राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़
भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषयः– **राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.–3), छत्तीसगढ़ की दिनांक 19/02/2026 को संपन्न 751वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

———00———

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.–3), छत्तीसगढ़ की दिनांक 19/02/2026 को श्री जयसिंह म्हस्के, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. विकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री रमाशंकर मिश्रा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. डॉ. अजय विक्रम अहिरवार, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. श्री समीर स्वरूप, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. श्री राजु अगासीमनी, सदस्य सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1ः **परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त परिवेश 1.0 के प्रकरण में अवलोकन पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।**

1. मेसर्स घोटियावाही आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री यशवंत सिन्हा), ग्राम–घोटियावाही, तहसील–नरहरपुर, जिला–कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2430)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 429597/ 2023, दिनांक 17/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–घोटियावाही, तहसील–नरहरपुर, जिला–कांकेर स्थित खसरा क्रमांक 734, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,00,005 टन प्रतिवर्ष है।

वर्तमान में माननीय एनजीटी, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. कमांक 142/2022 में पारित आदेश दिनांक 07/12/2022 द्वारा आदेशित किया गया है कि "mining lease in which environmental clearance was granted by DEIAA in view of amendment notification dated 15/01/2016 are still continuing even after passing of order dated 13/09/2018 by this Tribunal in Satendra Pandey (supra) and issuance of OM dated

12/12/2018 by MoEF&CC without any re-appraisal by SEIAA and appropriate remedial action on the basis of such re-appraisal. All such mining leases in which environmental clearance was granted by DEIAA need to be brought in consonance with the directions given by Hon'ble Supreme Court in Deepak Kumar (supra) and order dated 13/09/2018 by this Tribunal in Satendra Pandey (supra) by re-appraisal granted environmental clearance by SEIAA. MoEF&CC is, therefore, directed to take appropriate steps for compliance in this regard by issuance of requisite directions in exercise of the statutory powers under the Environment (Protection) Act, 1986".

उपरोक्त के पालनार्थ भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 अनुसार "The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 474वीं बैठक दिनांक 13/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री यशवंत सिन्हा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में साधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 734, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर, क्षमता– 1,00,005 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा दिनांक 07/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति उत्खनिपट्टा अवधि तक (विस्तारित अवधि तक) की अवधि हेतु जारी की गई। तत्पश्चात् जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला– उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा दिनांक 22/05/2018 को उत्खनन क्षमता–45,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1,00,005 टन प्रतिवर्ष करते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं की गई है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/खनिज/ख.लि./उ.प./2023–24 कांकेर, दिनांक 16/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2018–19	34,587.60
2019–20	25,387.20
2020–21	35,948.80
2021–22	45,592.00
2022–23	28,864.00

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 के अनुक्रम में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन पृ. क्र. 433/एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 22/05/2023 के द्वारा संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर को डी.ई.आई.ए.ए. द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की नस्तियों को एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. में अविलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया गया है। डी.ई.आई.ए.ए. द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किये गये आवेदित खदान से संबंधित नस्ती इस कार्यालय में आज दिनांक तक अप्राप्त है। अतः कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर–बस्तर–कांकेर को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किये गये आवेदित खदान से संबंधित नस्ती को इस कार्यालय में अविलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाना आवश्यक है।

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत घोटियावाही का दिनांक 10/03/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 980/खनिज/2017–18 दंतेवाड़ा, दिनांक 16/02/2018 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 955/खनिज/ख.लि./उ.प./2023–24 कांकेर, दिनांक 16/05/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 957/खनिज/ ख. लि./उ.प./2023–24 कांकेर, दिनांक 16/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री यशवंत सिन्हा के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 17/02/2011 से 16/02/2021

तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 17/02/2021 से 16/02/2041 तक के लिए विस्तारित की गई।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) वन मण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./भू–प्रबंध/2010/3092 कांकेर, दिनांक 13/05/2010 द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार आवेदित क्षेत्र के समीप ऑरेंज एरिया घोटियावाही, खसरा क्रमांक 642 रकबा 13.49 हेक्टेयर 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। कार्यालय वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) वन मण्डल, कांकेर द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक आकाशीय दूरी सहित अनापत्ति प्रमाण पत्र वन विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–घोटियावाही 2.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–घोटियावाही 2.5 कि.मी. एवं अस्पताल –घोटियावाही 2.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 29 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.5 कि.मी. दूर है। महानदी 4 कि.मी. एवं दूधवा बांध 320 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि. मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 17,22,720 टन एवं माईनेबल रिजर्व 8,80,223 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 8,36,211 टन है। लीज की 7. 5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,774 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 5,690 घनमीटर थी। वर्तमान में लीज क्षेत्र के भीतर ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 9 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	99,735	षष्टम	99,990
द्वितीय	99,735	सप्तम	1,00,005
तृतीय	98,880	अष्टम	99,990
चतुर्थ	98,880	नवम	80,715
पंचम	1,00,005		

13. ओव्हर बर्डन की मात्रा 44,011.15 टन है, जिसमें से आवश्यकतानुसार ओव्हर बर्डन का उपयोग पहुँच मार्ग के रख–रखाव में किया जाएगा एवं शेष ओव्हर बर्डन को विक्रय किया जाएगा। समिति का मत है कि उक्त ओव्हर बर्डन को नियामानुसार

खनिज विभाग एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से अनुमति उपरांत ही विक्रय किये जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 800 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 56,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,40,700 रूपये, खाद के लिए राशि 8,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रूपये, रख–रखाव आदि के लिए राशि 61,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 4,85,700 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 6,49,600 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
36	2%	0.72	Following activities at, Government Primary School at, **Village-Ghotiyawahi**	
			Plantation	1.34
			Total	**1.34**

18. सी.ई.आर. के तहत् स्कूल परिसर में वृक्षारोपण (नीम, आम, जामुन, कदंब, पीपल आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 5,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 29,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 35,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 99,600 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

19. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

20. खदान में सुरक्षा के दृष्टि से कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टि से लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित क्षेत्र एवं पहुंच मार्ग के किनारे यथासंभव वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था किः–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर–बस्तर–कांकेर को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किये गये आवेदित खदान से संबंधित नस्ती को इस कार्यालय में अविलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
2. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् जानकारी एवं शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
3. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
4. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक आकाशीय दूरी सहित अनापत्ति प्रमाण पत्र डी.एफ.ओ., वन विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
5. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।

6. खदान से जनित ओव्हर बर्डन को नियमानुसार खनिज विभाग एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से अनुमति प्राप्त किये जाने के पश्चात् विक्रय किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

7. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

8. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

9. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 474वीं बैठक दिनांक 13/07/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 12/09/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 512वीं बैठक दिनांक 12/02/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः-

1. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् जानकारी एवं शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत प्राप्त किये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर में आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।

3. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक आकाशीय दूरी सहित अनापत्ति प्रमाण पत्र डी.एफ.ओ., वन विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में प्रस्तुत कार्यालय वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) वन मण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि. /भू-प्रबंध/2010/3092 कांकेर, दिनांक 13/05/2010 द्वारा कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर को प्रेषित निरीक्षण प्रतिवेदन में निम्न तथ्य का उल्लेख हैः-

   - "आवेदित क्षेत्र आरक्षित/संरक्षित तथा सीमांकित वन के अंतर्गत स्थित नहीं है।

- आवेदित क्षेत्र के समीप ऑरेंज एरिया घोटियावाही, खसरा क्रमांक 642 रकबा 13.49 हेक्टेयर 200 मीटर की दूरी पर स्थित है।
- आवेदित क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति के 30 नग वृक्ष है।

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित क्षेत्र में बहुमूल्य प्रजाति के अधिक वृक्ष स्थित है। अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम निर्णय 12.12.96 का किसी प्रकार से उल्लंघन न हो इसका विशेष देते हुये पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही हेतु अपने स्तर से निर्णय लेने का कष्ट करें।"

उक्त के संबंध में समिति का मत है कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक आकाशीय दूरी सहित अनापत्ति प्रमाण पत्र डी.एफ.ओ., वन विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. खदान से जनित ओव्हर बर्डन को नियमानुसार खनिज विभाग एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से अनुमति प्राप्त किये जाने के पश्चात् विक्रय किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
6. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था किः–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक आकाशीय दूरी सहित अनापत्ति प्रमाण पत्र डी.एफ.ओ., वन विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

(स) समिति की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024:

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 को डॉ. बी.पी. नोन्हरे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05/07/2024 के माध्यम

से एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉ. बी.पी. नोन्हरे को पद से मुक्त किया जाकर विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को अवगत कराया गया। तदोंपरात छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पत्र दिनांक 16/07/2024 के माध्यम से उक्त की सूचना सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर को दी गई। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 का कार्यवाही विवरण पद मुक्त करने की सूचना की अवधि तक अनुमोदन विचाराधीन था।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ई–मेल दिनांक 08/03/2025 के माध्यम से 591वीं बैठक दिनांक 10/03/2025 को एस.ई.ए.सी.–3, छत्तीसगढ़ के समक्ष पुनः प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/04/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/05/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(द) समिति की 591वीं बैठक दिनांक 10/03/2025:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री यशवंत सिन्हा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/05/2024 को प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज के आधार पर समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की स्व–प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1413, दिनांक 13/09/2023 द्वारा "Clarification Requested on Requirement of Certified Compliance Report (CCR) in Non-Coal Mining Proposals without Expansion." के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को मार्गदर्शन के लिए पत्र प्रेषित किया गया था, इस परिपेक्ष्य में मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। मार्गदर्शन प्राप्त होने पर तदानुसार कार्यवाही की जाएगी।

   साथ ही यह अनुशंसा भविष्य में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1413, दिनांक 13/09/2023 के परिपेक्ष्य में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से मार्गदर्शन प्राप्त होने पर उसी अनुसार प्रभावित होगी।

2. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कांकेर वन मण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2023/8024 कांकेर, दिनांक 28/11/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में "आवेदित क्षेत्र के समीप ऑरेंज एरिया घोटियावाही, खसरा क्रमांक 642 में रकबा 13.49 हेक्टेयर 200 मीटर की दूरी पर स्थित है" का उल्लेख है।

   कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कांकेर वन मण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा. चि./2024/783 कांकेर, दिनांक 05/02/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में "आवेदित क्षेत्र से वनक्षेत्र की आकाशीय दूरी (Air Distance) दूरी 390 मीटर है।" का उल्लेख है।

   अतः उपरोक्त प्रमाण पत्रों के भिन्नता के संबंध में स्पष्टीकरण कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से मंगाया जाना आवश्यक है। साथ ही कार्यालय

वनमण्डलाधिकारी से लीज सीमा से अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवविविधता क्षेत्र से वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये प्रमाण पत्र मंगाया जाना आवश्यक है।

3. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 3,774 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 8.5 मीटर क्षेत्र उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वॉरी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पाया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के उत्खनित क्षेत्र के पुनःभराव किये जाने बाबत् रेस्टोरेशन प्लान (Restoration Plan) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. समिति द्वारा के.एम.एल. अवलोकन करने पर पाया गया है कि लीज क्षेत्र सीमा के बाहर उत्खनन कार्य किया गया है। अतः इस संबंध में संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर उत्खनन किया गया है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर उत्खनन किया गया हो, तो कितना मात्रा उत्खनन (टन में) किया गया है, इस संबंध में जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कांकेर वन मण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि. /2023/8024 कांकेर, दिनांक 28/11/2023 एवं ज्ञापन क्रमांक/मा.चि. /2024/783 कांकेर, दिनांक 05/02/2024 द्वारा आवेदित क्षेत्र से वनक्षेत्र की आकाशीय दूरी की भिन्नता के संबंध में स्पष्टीकरण एवं लीज सीमा से अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवविविधता क्षेत्र से वास्तविक दूरी के संबंध में कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कांकेर वन मण्डल, कांकेर को पत्र लेख किया जाए।
2. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कांकेर वन मण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि. /2023/8024 कांकेर, दिनांक 28/11/2023 एवं ज्ञापन क्रमांक/मा.चि. /2024/783 कांकेर, दिनांक 05/02/2024 द्वारा आवेदित क्षेत्र से वनक्षेत्र की आकाशीय दूरी की भिन्नता के संबंध में स्पष्टीकरण कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कांकेर वन मण्डल, कांकेर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए। साथ ही लीज सीमा से अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवविविधता क्षेत्र से वास्तविक दूरी के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के उत्खनित क्षेत्र के पुनःभराव किये जाने बाबत् रेस्टोरेशन प्लान (Restoration Plan) प्रस्तुत किया जाए।
4. लीज क्षेत्र का ड्रोन विडियो (Drone video) प्रस्तुत किया जाए।
5. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी जल एवं वायु स्थापना/संचालन सम्मति की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुधावा डेम से माईन लीज की बाउण्ड्री की दूरी के संबंध में जल संसाधन विभाग से जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए। साथ ही खदान संचालन से बांध के संरक्षण से संबंध में जल संसाधन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

7. समिति द्वारा के.एम.एल. अवलोकन करने पर पाया गया है कि लीज क्षेत्र सीमा के बाहर उत्खनन कार्य किया गया है। अतः इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर उत्खनन किया गया है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी मंगाये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए। साथ ही यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर उत्खनन किया गया हो, तो कितना मात्रा उत्खनन (टन में) किया गया है, इस संबंध में भी जानकारी मंगाये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

8. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

9. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

(इ) समिति की 674वीं बैठक दिनांक 08/08/2025:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कांकेर वन मण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2023/8024 कांकेर, दिनांक 28/11/2023 एवं ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2024/783 कांकेर, दिनांक 05/02/2024 द्वारा आवेदित क्षेत्र से वनक्षेत्र की आकाशीय दूरी की भिन्नता के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें "01. खदान क्षेत्र रकबा 02.00 हें. से वनक्षेत्र की दूरी 390 मीटर है। 02. वर्तमान में लीज क्षेत्र रकबा 02.00 हें. का पुनः जी.पी.एस. ट्रेक कर के.एम.एल. तैयार कर जाँच कराया गया। जिसका Unitiltled Map में भी स्थिति स्पष्ट है कि खदान क्षेत्र से वनक्षेत्र की आकाशीय दूरी 390 मी. राष्ट्रीय उद्यान की दूरी 250.62 कि.मी. एवं सीतानदी अभ्यारण जैव विविधता की दूरी 17.00 कि.मी. है, जो सही है। जिसका मैप संलग्न है।" का उल्लेख है।

2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के उत्खनित क्षेत्र के पुनःभराव किये जाने बाबत् रेस्टोरेशन प्लान (Restoration Plan) प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार राशि रूपये 1,23,675/– खर्च किया जाना प्रस्तावित है।

3. लीज क्षेत्र का ड्रोन विडियो (Drone video) प्रस्तुत किया गया है।

4. क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर द्वारा दिनांक 07/01/2025 को साधारण पत्थर, क्षमता–1,00,005 टन प्रतिवर्ष हेतु जारी जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण जारी किया गया है।

5. कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल प्रंबध संभाग रूद्री, जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 2172/कार्य/2025 रूद्री, दिनांक 03/06/2025 के प्रतिवेदन अनुसार "उक्त माईनिंग लीज के बाउण्ड्री की दूरी दुधावा जलाशाय से 5 कि.मी. और केचमेंट एरिया से 300 मी. की दूरी पर स्थित है। खदान संचालन से संरक्षण के दृष्टिगत बांध को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा। अतः खदान संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान की जाती है।" का उल्लेख है।

6. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 1512/खलि/न.क्र./उ.प./2025 कांकेर, दिनांक 08/07/2025 में "क्षेत्र का स्थल निरीक्षण कर उत्खनन योजना अनुसार अक्षांश–देशांतर का मिलान करते हुए पट्टा अंतर्गत उत्खनन क्षेत्रों की जांच की गई। जांच में स्वीकृत पट्टा क्षेत्र के बाहर खनिज उत्खनन होना नहीं पाया गया है। अपितु उत्खनित खनिज की निकासी हेतु ओव्हर बर्डन से रैम्प निर्मित किया गया है, प्रश्नाधीन उत्खनिपट्टा वर्ष 2015 के पूर्व से स्वीकृत होकर संचालित है। 2015 के पूर्व गौण खनिज खदानों में उत्खनन योजना तथा उनसे संबंधित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के प्रावधान लागू नहीं होने से उपरी मिट्टी को हटाकर मेढ़ बनाया गया है।" का उल्लेख है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized affidavit) किया गया है कि प्रतिबंधित लीज क्षेत्र 7.5 मीटर चौड़ी पट्टी का कोई भाग उत्खनन हुआ या नहीं के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, जगदलपुर द्वारा स्थल निरीक्षण कर जांच में जो भी कार्यावाही किया जाएगा, वह स्वीकर होगी।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized affidavit) किया गया है कि पर्यावरण संरक्षण के नियमों का मेरे द्वारा पूर्ण पालन किया जा रहा है।

9. एस.ई.ए.सी.–3, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 549, दिनांक 22/05/2025 को प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया गया था। जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।

10. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा आवेदित खदान को जारी 500 मीटर प्रमाण पत्र (जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–

1. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से अभिमत प्राप्त किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

2. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कांकेर वन मण्डल, कांकेर के अनापत्ति प्रमाण पत्र में वन क्षेत्र से 390 मीटर की दूरी पर होना बताया गया है। लीज एरिया से समीपस्थ

वनक्षेत्र की मान्य दूरी का निर्धारण एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पत्र लेख किया जाए।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से 500 मीटर की अद्यतन प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए। अतः कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर को पत्र लेख करते हुये परियोजना प्रस्तावक को प्रतिलिपि दी जाए।

एस.ई.ए.सी.–3, छत्तीसगढ़ की 674वीं बैठक दिनांक 08/08/2025 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 06/11/2025 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ई) समिति की 751वीं बैठक दिनांक 19/02/2026:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर के पत्र क्रमांक 1236, दिनांक 31/10/2025 के माध्यम से कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उ.ब. कांकेर द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें **"जांच में स्वीकृत पट्टा क्षेत्र के बाहर खनिज उत्खनन होना नहीं पाया गया है। अपितु उत्खनित खनिज की निकासी हेतु ओव्हर बर्डन किया जाकर रैम्प निर्मित किया गया है, प्रश्नाधीन उत्खनिपट्टा वर्ष 2015 के पूर्व से स्वीकृत होकर संचालित है। 2015 के पूर्व गौण खनिज खदानों में उत्खनन योजना तथा उनसे संबंधित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के प्रावधान लागू नहीं होने से उपरी मिट्टी को हटाकर मेढ़ बनाया गया है"** उल्लेख है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 2300/खलि–1/उ.प./न.क्र./2011 कांकेर, दिनांक 17/10/2025 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

3. संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा पत्र क्रमांक 2646/खनि. 02/पर्या.स.–II/न.क्र. 08/2016 नवा रायपुर दिनांक 13/11/2025 के माध्यम से निम्नानुसार लेख किया गया हैः–

"उल्लेखनीय होगा कि रि–अप्रेजल के अधिकतर प्रकरण में उत्खनिपट्टा तात्कालिन छ.ग. गौण खनिज नियम 1936 के तहत स्वीकृत किये गये है जिसमें उत्खनन योजना एवं खदान क्षेत्र के भीतर 7.5 मीटर की शेफ्टी जोन छाडे जाने का प्रावधान नहीं था जिसके फलस्वरुप पट्टेदारों के द्वारा खदान क्षेत्र की सीमा तक खनन कार्य किया गया है। उक्त सभी खदानों का छ.ग. गौण खनिज नियम, 2015 के नियम–38(क) के तहत मूल उत्खनिपट्टा अवधि से 30 वर्ष हेतु अवधि विस्तार किये गये है, जो कि वर्तमान में भी संचालित है।

गौण खनिज नियम, 2015 में संशोधनों के उपरांत उत्खनिपट्टों हेतु उत्खनन योजना तैयार किया गया तथा उसके पश्चात् स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र में 7.5 मीटर सेप्टी जोन छोड़ने के प्रावधान किये गये हैं। अतः 2015 के पूर्व स्वीकृत खदानों में उक्त नियम के बंधनकारी नहीं होने के फलस्वरुप उक्त प्रकरणों में उल्लंघन की कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की जा सकती है। गौण खनिज नियम, 2015 के तहत स्वीकृत – उत्खनिपट्टों में खदान क्षेत्र की सीमा से 7.5 मीटर के भीतर खनन पाये जाने पर ऐसे प्रकरणों में अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज कर जिला अधिकारियों के द्वारा नियमनानुसार कार्यवाही की जा रही है।

स्वीकृत लीज क्षेत्र के बाहर पुराने उत्खनन के गढ्ढे अथवा तालाब होने की स्थिति में समिति द्वारा इन्हे आवेदक द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना मानकर प्रकरण परीक्षण हेतु लिजा कार्यालय को प्रषित किया जा रहा है। तत्संबंध में लेख है कि प्रायः गौण खनिज उत्खनन पट्टा पूर्व स्वीकृत खदान क्षेत्र के आसपास ही स्वीकृत किया जाता है जिससे आवेदित क्षेत्र के आसपास पुराने स्वीकृत खदानों से निर्मित गढढे का होना स्वाभाविक है।

पुराने उत्खनन से निर्मित गढढों को वर्तमान पट्टाधारी आवेदकों द्वारा किया गया अवैध उत्खनन माना जाना उचित नहीं है। लीज क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन के प्रकरणों में विभाग द्वारा निरंतर कार्यवाही की जाती है। तथापि प्रत्येक 6 माह में खनि निरीक्षक द्वारा भी कर निर्धारण के समय मौका जांच पर पट्टेदार द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर गौण खनिज नियम, 2015 के नियम–71 के हत कार्यवाही की जाती है। यह एक सतत प्रकिया है जिस पर खनिज विभाग द्वारा गंभीरता से लगातार कार्यवाही की जाती है।

उक्त कारणों से रि–अप्रेजल के प्रकरण विगत 02 वर्षों से अधिक समय से लंबित होने के कारण प्रदेश में अधोसंरचनाओं के निर्माण हेतु आवश्यक गौण खनिजों की आपुर्ति प्रभावित हो रही है वही राज्य को प्राप्त होने वाले खनिज राजस्व पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

अतः अनुरोध है कि इस प्रकार के लंबित रि–अप्रेजल प्रकरण/पर्यावरण सम्मति हेतु प्रस्तुत नवीन प्रकरणों में पर्यावरण के बिंदुओं पर कम्प्लायंस कराते हुए पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने हेतु उचित निर्णय लिया जावे।''

उक्त खदान का उत्खनिपट्टा दिनांक 17/02/2011 से 16/02/2041 तक हेतु निष्पादित किया गया है। अतः उत्खनिपट्टा वर्ष 2015 के पूर्व का है।

समिति द्वारा नोट किया गया कि कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कांकेर वन मण्डल, कांकेर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र की सीमा से 390 मीटर की दूरी पर है। माननीय एन.जी.टी. द्वारा प्रकरण ओ.ए. क्रमांक 142/2022 में दिनांक 08/08/2024 को पारित आदेश में निम्नानुसार निर्देश दिये गये हैः–

"Though in the present case, it is a 'Reserve Forest' but in our view, the need of having a buffer area for reserve forest similar to that it was found necessary in respect of national parks and wildlife sanctuaries is equally relevant, important and necessary and therefore, the mere fact that the boundary of the mining lease area is outside the notified boundary of reserved forest is not sufficient reason to allow mining activities. Such activities must be disallowed within buffer area which until provided otherwise by Competent Authority by issuing appropriate notification, we find shall be followed as 1 km from the actual boundary of the notified 'Reserve Forest'/'Protected Forest', as the case may be."

उपरोक्त के परिपालन में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पत्र दिनांक 14/10/2024 के माध्यम से वन विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु लेख किया गया था। माननीय एन.जी.टी. द्वारा उपरोक्त प्रकरण में पारित आदेश के 18 माह पश्चात् भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा रिजर्व फॉरेस्ट/प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की सीमा से माईन लीज सीमा के मध्य अनुमेय दूरी (Buffer distance) के संबंध में कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा प्राधिकरण की दिनांक 17/11/2025 को संपन्न 210वीं बैठक में कतिपय प्रकरण में आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र की सीमा की दूरी 300 मीटर पाई गई। तदानुक्रम में प्राधिकरण द्वारा आरक्षित एवं संरक्षित वनक्षेत्र की सीमा से खदान की दूरी के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिये गये हैः–

''2. माननीय एनजीटी द्वारा आरक्षित एवं संरक्षित वनक्षेत्र की सीमा से खदान की दूरी 01 कि.मी. के भीतर नहीं दिये जाने का आदेश है एवं यह भी आदेशित किया गया है कि यदि राज्य शासन चाहे तो स्वयं यह दूरी निर्धारित कर अधिसूचित किया जा सकता है। अतः इस बिन्दु का भी परीक्षण करें।

***प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी.–3, छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया। ''*

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** परियोजना प्रस्तावक के री–अप्राईजल के आवेदन को निरस्त किये जाने की अनुशंसा की जाती है। परियोजना प्रस्तावक को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण सिविल अपील क्रमांक 3799–3800/2019 में पारित आदेश के परिपालन में जारी अंतरिम आदेश की वैधता, डी.ई.आई.ए.ए. द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में वर्णित सभी शर्तों का अनुपालन किये जाने रहते के अधीन माननीय उच्चतम न्यायालय के आगामी आदेश तक रहेगी।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा रिजर्व फॉरेस्ट/प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की सीमा से माईन लीज सीमा के मध्य अनुमेय दूरी (Buffer distance) के संबंध में अधिसूचना जारी किये जाने के उपंरात परियोजना प्रस्तावक द्वारा री–अप्राईजल हेतु पुनः आवेदन किया जा सकेगा।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स बालपेट (डी–2) सेण्ड क्वारी (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत बालपेट), ग्राम–बालपेट, तहसील व जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2681)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 445961 एवं 30/09/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	3 हेक्टेयर एवं 18,000 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक एवं नदी	पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक–599 एवं डंकनी नदी	
बैठक का विवरण	500वीं बैठक दिनांक 11/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 06/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री सतीश कुमार अटामी, सचिव उपस्थित हुये।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत बालपेट दिनांक 20/09/2022	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 14/07/2023	
चिन्हांकित/सीमांकित	दिनांक 03/05/2023	
500 मीटर	दिनांक 03/05/2023	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 03/05/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत बालपेट दिनांक – 10/04/2023 वैधता अवधि – 1 वर्ष	जारी एल.ओ.आई. में ''छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम, 2023 के तहत्

		आवेदित भूमि में गौण खनिज साधारण रेत हेतु उत्खनन पट्टा विलेख के पंजीयन दिनांक से 05 वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों के पूति हेतु यह आशय पत्र (LOI) जारी किया जा रहा है'' का उल्लेख है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी, दंतेवाड़ा वनमण्डल दंतेवाड़ा द्वारा जारी दिनांक 05/10/2023	प्रस्तावित क्षेत्र की सीमा से 5 कि.मी. के भीतर कोई अभ्यारण्य/राष्ट्रीय उद्यान/टाईगर रिजर्व स्थित नहीं है
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम–बालपेट 300 मीटर स्कूल ग्राम–बालपेट 200 मीटर अस्पताल–द.ब. दंतेवाड़ा 5.1 कि.मी.	पुल–1.01 कि.मी.
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई–** अधिकतम 131 मीटर, न्यूनतम 116 मीटर **खनन स्थल की औसत लंबाई–**460 मीटर **खनन स्थल की चौड़ाई –** अधिकतम 95 मीटर, न्यूनतम 50 मीटर **खदान की नदी तट के किनारे से दूरी –** अधिकतम 57 मीटर, न्यूनतम 22 मीटर	नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़ी गई है।
खदान स्थल पर रेत की मोटाई –	स्थल पर रेत की गहराई – 2 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–30,000 घनमीटर	रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर एवं रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स –	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 29/05/2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।	
वृक्षारोपण कार्य	नदी के तट पर वृक्षारोपण – 230 नग किया जाना है।	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 4,75,932 रूपये
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) –** परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
7.92	2%	0.16	Following activities at Nearby, **Village-Balpet**	
			Plantation in muktidham	4.00
			Total	**4.00**

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत मुक्तिधाम में वृक्षारोपण (पीपल, आम, जामुन, अर्जुन, कदंब, करंज आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 70 नग पौधों के लिए राशि 532 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 26,000 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 48,600 रूपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,10,140 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,90,368 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बालपेट के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 285, क्षेत्रफल 4.57 हेक्टेयर में से 0.12 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसे समिति द्वारा अमान्य किया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत ''पवित्र वन निर्माण'' हेतु ग्राम पंचायत से सहमति प्राप्त कर सी.ई.आर. कार्य हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर एवं रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. सी.ई.आर. के अंतर्गत ''पवित्र वन निर्माण'' हेतु ग्राम पंचायत से सहमति प्राप्त कर सी.ई.आर. कार्य हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. नदी तट पर किये जाने वाले 1,000 नग वृक्षारोपण हेतु भूमि खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल का उल्लेख करते हुए ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. खदान क्षेत्र के आस–पास नदी तट एवं पहुंच मार्ग में सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं कियो जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

10. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि अनुमोदित उत्खनन योजना में दिए माईनेबल रिजर्व का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जाएगा।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि खदान में तथा खनन के दौरान सस्टेनेबल सेंड माईनिंग गाईडलाईन 2016 एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 30/04/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/07/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ई–मेल दिनांक 08/03/2025 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 591वीं बैठक दिनांक 10/03/2025:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर एवं रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु ग्राम पंचायत बालपेट के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 285, क्षेत्रफल 4.57 हेक्टेयर में से 0.12 हेक्टेयर) की जानकारी पुनः प्रस्तुत की गई है। सी.ई.आर. के अंतर्गत ''पवित्र वन निर्माण'' हेतु ग्राम पंचायत से सहमति प्राप्त कर यथायोग्य स्थान पर सी.ई.आर. कार्य का संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नदी तट पर किये जाने वाले 1,000 नग वृक्षारोपण हेतु ग्राम पंचायत बालपेट के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 598, क्षेत्रफल 6.9 हेक्टेयर में से 1.50 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

4. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

5. खदान क्षेत्र के आस–पास नदी तट एवं पहुंच मार्ग में सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं कियो जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

10. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि अनुमोदित उत्खनन योजना में दिए माईनेबल रिजर्व का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जाएगा।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान में तथा खनन के दौरान सस्टेनेबल सेंड माईनिंग गाईडलाईन 2016 एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

13. आवेदित खदान नवीन खदान है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 14/01/2025

के परिपालन में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंण्डल से टिप्पनियाँ (Comments) मंगाया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–

1. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" हेतु ग्राम पंचायत से सहमति प्राप्त कर यथायोग्य स्थान पर सी.ई.आर. कार्य का संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 14/01/2025 के परिपालन में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंण्डल से परियोजना की स्थल उपयुक्तता, फिसिबिलिटी, प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के संबंध में टिप्पनियाँ (Comments) मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
3. लीज क्षेत्र का ड्रोन विडियो (Drone video) प्रस्तुत किया जाए।

एस.ई.ए.सी.–3, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 20/05/2025 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/12/2025 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 751वीं बैठक दिनांक 19/02/2026:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के अंतर्गत मुक्तिधाम में वृक्षारोपण हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हैः–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
7.92	2%	0.16	Following activities at Nearby, **Village- Balpet**	
			Plantation in muktidham	4.00
			Total	**4.00**

सी.ई.आर. के अंतर्गत मुक्तिधाम में वृक्षारोपण (पीपल, आम, करंज, कदम, जामुन, अर्जुन, बरगद, तेन्दू एवं महुआ आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 70 नग पौधों के लिए राशि 1,540 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 26,000 रूपये, खाद के लिए राशि 600 रूपये एवं सिंचाई के लिए राशि 48,000 रूपये, रख–रखाव तथा अन्य खर्च के लिए राशि 34,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,10,140 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,90,368 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बालपेट के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 285, क्षेत्रफल 0.12 हेक्टेयर में स्थित मुक्तिधाम) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

नदी तट के किनारे वृक्षारोपण (पीपल, आम, करंज, कदम, जामुन, अर्जुन, बरगद, तेन्दू एवं महुआ आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,000 नग पौधों के लिए राशि 46,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 3,30,000 रूपये, खाद के लिए राशि 7,500 रूपये एवं सिंचाई के लिए राशि 48,000 रूपये, रख–रखाव तथा अन्य खर्च के लिए राशि 34,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 4,65,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 3,36,400 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बालपेट के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 598, क्षेत्रफल 1.50 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 14/01/2025 के परिपालन में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंण्डल से परियोजना की स्थल उपयुक्तता, फिसिबिलिटी, प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के संबंध में टिप्पनियाँ (Comments) पत्र क्रमांक 1672/क्षे.कार्या./तक./छ.ग.प.सं.मं./2025 जगदलपुर दिनांक 16/12/2025 के माध्यम से इस कार्यालय को दिनांक 23/12/2025 को प्राप्त हुआ है:– क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंण्डल का अभिमत – खदान प्रबंधन को ग्राम–बालपेट, तहसील–दन्तेवाड़ा, जिला–दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.) स्थित खसरा क्रमांक–559, क्षेत्रफल–3.0 हेक्टेयर में रेत खदान (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–18,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् प्रकरण पर निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

3. लीज क्षेत्र का ड्रोन विडियो (Drone video) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रिजर्व फॉरेस्ट/प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की सीमा से माईन लीज सीमा के मध्य अनुमेय दूरी (Buffer distance) के संबंध में वन विभाग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया ह। माननीय एन.जी.टी. द्वारा प्रकरण ओ.ए. क्रमांक 142/2022 में दिनांक 08/08/2024 को पारित आदेश में निम्नानुसार निर्देश दिये गये है:–

"Though in the present case, it is a 'Reserve Forest' but in our view, the need of having a buffer area for reserve forest similar to that it was found necessary in respect of national parks and wildlife sanctuaries is equally relevant, important and necessary and therefore, the mere fact that the boundary of the mining lease area is outside the notified boundary of reserved forest is not sufficient reason to allow mining activities. Such activities must be disallowed within buffer area which until provided otherwise by Competent Authority by issuing appropriate notification, we find shall be followed as 1 km from the actual boundary of the notified 'Reserve Forest'/'Protected Forest', as the case may be."

उपरोक्त के परिपालन में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस. ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पत्र दिनांक 14/10/2024 के माध्यम से वन विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु लेख किया गया था। माननीय एन.जी.टी. द्वारा उपरोक्त प्रकरण में पारित आदेश के 18 माह पश्चात् भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा रिजर्व फॉरेस्ट/प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की सीमा से माईन लीज सीमा के मध्य अनुमेय दूरी (Buffer distance) के संबंध में कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा प्राधिकरण की दिनांक 17/11/2025 को संपन्न 210वीं बैठक में कतिपय प्रकरण में

आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र की सीमा की दूरी 300 मीटर पाई गई। तदानुक्रम में प्राधिकरण द्वारा आरक्षित एवं संरक्षित वनक्षेत्र की सीमा से खदान की दूरी के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिये गये है:–

"2. माननीय एनजीटी द्वारा आरक्षित एवं संरक्षित वनक्षेत्र की सीमा से खदान की दूरी 01 कि.मी. के भीतर नहीं दिये जाने का आदेश है एवं यह भी आदेशित किया गया है कि यदि राज्य शासन चाहे तो स्वयं यह दूरी निर्धारित कर अधिसूचित किया जा सकता है। अतः इस बिन्दु का भी परीक्षण करें।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से *उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी.–3, छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।"*

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** परियोजना प्रस्तावक के री–अप्राईजल के आवेदन को निरस्त किये जाने की अनुशंसा की जाती है। परियोजना प्रस्तावक को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण सिविल अपील क्रमांक 3799–3800/2019 में पारित आदेश के परिपालन में जारी अंतरिम आदेश की वैधता, डी.ई.आई.ए.ए. द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में वर्णित सभी शर्तों का अनुपालन किये जाने रहते के अधीन माननीय उच्चतम न्यायालय के आगामी आदेश तक रहेगी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा रिजर्व फॉरेस्ट/प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की सीमा से माईन लीज सीमा के मध्य अनुमेय दूरी (Buffer distance) के संबंध में वन विभाग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपंरात परियोजना प्रस्तावक द्वारा री–अप्राईजल हेतु पुनः आवेदन किया जा सकेगा।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

नाम एवं पदनाम	हस्ताक्षर
श्री जयसिंह म्हस्के, अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.–3 छत्तीसगढ़	
डॉ. विकास कुमार जैन, सदस्य, एस.ई.ए.सी.–3 छत्तीसगढ़	
श्री रमाशंकर मिश्रा, सदस्य, एस.ई.ए.सी.–3 छत्तीसगढ़	
डॉ. अजय विक्रम अहिरवार, सदस्य, एस.ई.ए.सी.–3 छत्तीसगढ़	
श्री समीर स्वरूप, सदस्य, एस.ई.ए.सी.–3 छत्तीसगढ़	
श्री राजु अगासीमनी, सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.–3 छत्तीसगढ़	